न्यायालय :सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS
फौजदारी प्रकरण संख्या – 58/2017
सीआईएस नंबर – 58/2017
एफआईआर नंबर – 104/2016 पुलिस थाना बागोर
CNR No. – RJBW170000582017

राज्य

––अभियोगी

– विरूद्ध –

चांदमल उर्फ चांदु पिता नंदलाल सुवालका, उम्र 35 वर्ष निवासी आसपुर थाना रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)।

––––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।

2.श्री अंबालाल जाट, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 10.03.2026**

घटना की दिनांक	10.10.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10.10.2016
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	07.02.2017
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	15.12.2017
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	15.12.2017
बयान मुलजिम लिए जाने की दिनांक	10.03.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	10.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	10.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषसिद्ध

01– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सहदेव सिंह मीणा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 10.10.16 समय 12.30 पी. एम को वह मय जाप्ता कानि० महेन्द्र कुमार 880, कानि, भोपाल सिह 1629 मय जीप सरकारी के हल्का गस्त हेतु थाने से 10.00 ए एम पर रवाना हो थाने के सामने नाकाबन्दी वाहन चेकिगं कर रहा था कि समय 10.30 ए.एम. पर कस्बा बागोर कि तरफ से एक लाल रंग की कार आई जिसके शीशे काले हो रुकने का ईशारा किया तो चालक कार को घुमा कर वापस जाने लगा जिसको उसने मय हम राही जाप्ता ने घेरा डाल कर रोका व चालक से अपना नाम पता पूछा तो अपना नाम चान्दमल उर्फ चान्दु पिता नन्द लाल सुवालका उम्र 35 साल निवासी आसपुर थाना रायपुर होना बताया। कार में रखे कार्टून के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया तथा

साबुन होना बताया। चेकिंग हेतु आस पास कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं होने से हमराही जाप्ता में से कानि० महेन्द्र कुमार 880, कानि. भोपाल सिंह 1629 को मोतबीर मामुर कर चैंकिग कि गई तो कार में कुल 6 कार्टून पडे मिले। कोर्टूनों को खोल कर देखा तो 4 कार्टून सादा देसी मदिरा कुल 192 पव्वों पर देसी मदिरा सादा स्ट्रोंग 40 यूपी 180 एम एल राजस्थान स्टेट गंगानगर सुगर मिल्स लिमि० का लाल ढक्कन लगा हुआ। एक कार्टून देसी शराब 48 पवे जिस पर शाही स्ट्रोंग देसी मदिरा 40 यूपी 180 एम एल श्यामपुर बहरोड जिला अलवर का लेबल लगा हुआ। एक कार्टून बीयर बुलट 12 नग जिस पर बुलेट सुपर स्ट्रोंग बीयर 650 एम एल फोर सेल ओनली राज. 8 प्रति० वीवी की लेबल लगा हुआ । उक्त शराब को अपने कब्जे में रख परिवहन करने बाबत उक्त चान्दमल से लाईसेन्स व परमिट मांगा तो नही होना बताया। इस तरह चान्दमल का उक्त कृत्य जुर्म धारा 19/54 आबकारी अधिनियम कि तारीफ में आना पाया जाने से मौके पर ही जप्त सुदा सादा देसी मदिरा पव्वों 192 में से एक पव्वा वास्ते नमूना सेम्पल निकाला जाकर मौके पर ही सील चिट कर मार्क ए अंकित किया तथा शेष शराब 191 पव्वा देसी शराब को कार्टून में रख कर चिट चस्पा कर मार्क ए 1 अंकित किया। देसी मदिरा सादा स्ट्रोंग के 48 पवो में से एक पव्वा वास्ते नमूना सेम्पल निकाला जाकर मौके पर ही सील चिट कर मार्क बी अंकित किया तथा शेष शराब 47 पव्वा देसी शराब को कार्टून में रख कर चिट चस्पा कर मार्क बी1 अंकित किया। बुलेट सुपर स्ट्रोंग बीयर 650 एम एल 12 नग में से एक बियर वास्ते नमूना सैंपल निकाला जाकर मौके पर ही सील चिट कर मार्क सी अंकित किया तथा शेष शराब 11 बीयर को कार्टून में रख कर चिट चस्पा कर मार्क सी 1 अंकित किया तथा मुल्जिम श्री चान्द मल को धारा 41 1 बी का नोटिस पृथक से दिया जाकर जरिये गिरफतार किया गया। वाहन कार आई. 10 आर. जे. 06 सीए 9113 को जरिये फर्द जप्त किया गया। बाद कार्यवाही के उसने मय जाप्ता मय गिरफतार शुदा मुल्जिम श्री चान्दमल व जप्त सुदा आर्टीकल्स के रवाना हो थाने पर पहुंचा। पर्चा फर्द कायमी पर प्र० सं० 104/16 धारा 19/54 आबकारी 19/54 आबकारी अधि. में दर्ज कर अनुसंधान श्री मो. जाबीर सउनि. के जिम्मे किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट कि प्रतियां नियमानुसार जारी कि गई। जप्त शुदा शराब व सैंपल को एल सी मालखाना के जिम्मे किया गया । मुल्जिम श्री चान्दमल को दाखिल हवालात कर सन्तरी पहरा के सुपुर्द किया गया। जप्त सुदा वाहन को बाद दर्ज मालखाना थाना अहाते मे खडा कराया गया। मूर्तिब शुदा फर्दांत पर लाल स्हायी से मु. न. अंकित किये गये .....इत्यादि। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 104/16 धारा 19/54 राजस्थान आबकरी अधिनियम में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस थाना बागोर जिला भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्त चांदमल उर्फ चांदू के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में आरोप पत्र दिनांक 07.02.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– अभियुक्त चांदमल उर्फ चांदू को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्ता ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	भोपालसिंह	फर्द जप्ती शराब, फर्द निरीक्षण घटनास्थल, फर्द गिरफतारी मुलजिम चांदमल, प्राप्ति रसीद,
पी.डब्ल्यू. 02	सुरेश कुमार	फर्द सूरतेहाल व फर्द सुपुर्दगी कार की ताईद

पी.डब्ल्यू. 03	कैलाशचंद्र	फर्द सूरतेहाल व फर्द सुपुर्दगी कार की ताईद
पी.डब्ल्यू. 04	मोहम्मद जाबीर	अनुसंधानकर्ता
पी.डब्ल्यू. 05	रतनसिंह	मालखाना रजिस्टर
पी.डब्ल्यू. 06	महेंद्र	फर्द जप्ती शराब, फर्द निरीक्षण घटना स्थल, फर्द गिरफतारी
पी.डब्ल्यू. 07	सहदेव सिंह	एफआईआर कर्ता

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	फर्द गिरफतारी मुलजिम चांदमल
02	प्रदर्श पी 02	फर्द नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी 03	फर्द जप्ती
04	प्रदर्श पी 04	प्राप्ति रसीद
05	प्रदर्श पी 05	फर्द सूरतेहाल व सुपुर्दगी
06	प्रदर्श पी 06	फर्द पर्चा कायमी
07	प्रदर्श पी 07	चाक एफआईआर
08	प्रदर्श पी 08	अग्रेषण पत्र
09	प्रदर्श पी 09	एफएसएल रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी 10	मालखाना रजि. की प्रति

3– अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान की साक्ष्य गलत होना तथा स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाने का कथन किया है। अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य पेश ना करना चाहने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

4– अभियुक्त ने अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

5– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1– दिनांक 10.10.2026 को समय 12.10 ए.एम. पर अभियुक्त चांदमल उर्फ चांद के सचेत व संज्ञान कब्जे से लाल रंग की कार में रखे 06 कार्टून मिले, जिनमें 04 कार्टून सादा देसी मदिरा कुल 192 पव्वों पर देसी मदिरा स्ट्रांग 40 यूपी 180 एम एल राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का लाल ढक्कन लगा हुआ तथा एक कार्टून देसी शराब 48 पव्वे जिस पर शाही स्ट्रांग देसी मदिरा 40 यूपी एमएल श्यामपुर बहरोड जिला अलवकर का लेबल लगा एवं एक कार्टून बीयर बुलट 12 नग जिस पर बुलेट सुपर स्ट्रांग बीयर 650

एमएल फोर सेल ऑनली राज. 8 प्रति वीवी लेबल लगा हुआ बरामद हुए, जिनको अपने पास रखने का कोई वैद्य लाईसेंस नहीं था?

2– यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा?

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

6– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को झूंठा फंसाये जाने का कथन किया एवं बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। सभी गवाह सरकारी व्यक्ति हैं। प्रकरण में तथ्यों को छिपाया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किए हैं। अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

7– सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

8– पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कुल 07 गवाहों को परीक्षित कराया गया है, जिनमें गवाह पी.डब्ल्यू–1 भोपाल सिंह ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.10.2016 को थाना बागोर में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज एसएचओ सहदेव सिंह जी मय जाप्ता जिसमें वह, कानि. महेंद्र कुमार सरकारी वाहन से गश्त हेतु सुबह 10 बजे थाने से रवाना हो थाने के सामने नाकाबंदी व वाहन चैकिंग कर रहे थे। सुबह 10.30 बजे बागोर कस्बे से एक लाल रंग की कार आई जिसके शीशे काले हो, रूकने का ईशारा किया व कार चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम चांदमल उर्फ चांद निवासी आसपुर होना बताया। जिस कार को रोका उस कार के नंबर आरजे 06 सीए 9113 थे। चालक से कार में रखे कार्टून के बारे में पूछा तो संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर चैकिंग हेतु आस–पास कोई स्वतंत्र गवाह मौके पर नहीं होने से उसे व कानि. महेन्द्र को मौतबिर मामूर कर उक्त कार्टून की चैकिंग की कार में कुल 6 कार्टून मिले। सभी कार्टून को खोलकर देखा तो 4 कार्टून सादा देसी मदिरा जिसमें कुल 192 पव्वों पर देसी मदिरा सादा स्ट्रॉग 40 यूपी 180 एमएल, राजस्थान स्टेट गंगानगर सुगर मील लिमिटेड का लाल ढक्कन लगा हुआ था। एक कार्टून देसी शराब 48 पव्वे जिसमें शाही स्ट्रॉग देसी मदिरा 40 यूपी 180 एमएल श्यामपुर, बहरोड जिला अलवर का लेबल लगा हुआ था। एक कार्टून बीयर बुलेट, 12 नग जिस पर बुलेट सुपर स्ट्रॉग बीयर 650 एमएल फॉर सेल ऑनली राजस्थान 8 प्रति वीवी का लेबल लगा हुआ था। कार चालक चांदमल से उक्त शराब को अपने कब्जे में रख परिवहन करने बाबत परमिट व लाईसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। मौके पर ही जप्तशुदा सादा देसी मदिरा 192 पव्वों में से एक पव्वा वास्ते नमूना सैंपल निकाला जाकर मौके पर ही सीलचीट कर मार्क ए अंकित किया व शेष 191 पव्वों को कार्टून में रख चिटचस्पा कर मार्क ए 1 अंकित किया व देसी शराब 48 पव्वों में से एक पव्वा नमूना सैंपल निकालकर सीलचिट कर मार्क बी अंकित किया व शेष 47 पव्वों को कार्टून में रख चिट चस्पा कर मार्क बी1 अंकित किया। बुलेट सुपर स्ट्रॉग बीयर 650 एमएल 12 नग में से 1 बीयर नमूना सैंपल के लिए निकाला जाकर मौके पर ही सीलचिट कर मार्क सी अंकित किया व शेष 11 बीयरों को कार्टून में रख चिटचस्पा कर मार्क सी 1 अंकित किया। मुलजिम चांदमल को जरिये फर्द गिरफतार किया जो प्रदर्श पी 01 है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 है। दिनांक 17.10.2016 को नमूना सैंपल तीन अंकों में सीलचिट अवस्था में उसे अग्रेषण पत्र तैयार कर एफएसएल अजमेर रवाना किया। जिसे अजमेर में पेश किये जाने पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की व उक्त रसीद व अग्रेषण पत्र को उसने थाने में आकर एसएचओ साहब के सामने पेश किया। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 04 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि गाडी का रंग लाल था। यह कहना सही है कि उक्त शराब को उसने नहीं

चखा, चांदमल का कोई आईडी प्रूफ उसने नहीं देखा। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई शराब बरामद नहीं की गई।

9– गवाह पी.डब्ल्यू. 02 सुरेश कुमार सुवालका ने सशपथ बयानों में कथन किया कि फर्द सूरतेहाल व सुपुर्दगी कार आरजे 06 सीए 9113 प्रदर्श पी 05 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 05 पर हस्ताक्षर कहा पर किये उसे पता नहीं है। हस्ताक्षर उसने किस वजह से किये थे उसे पता नहीं है। दिनांक का उसे पता नहीं है।

10– गवाह पी.डब्ल्यू. 03 कैलाशचंद्र ने सशपथ बयानों में कथन किया कि प्रदर्श पी 05 फर्द सूरतेहाल व सुपुर्दगी है। हस्ताक्षर करते समय मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि हस्ताक्षर किस बात के किए उसे नहीं पता। हस्ताक्षर उसने पुलिस वालों के कहने से किए थे। हस्ताक्षर करते समय कागज खाली था, हस्ताक्षर किस बात के कराए उसे नहीं पता। किस बात की कार्रवाई की उसे नहीं पता।

11– गवाह पी.डब्ल्यू. 04 मोहम्मद जाबीर ने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 10.10.2016 को थाना बागोर पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन प्र.सं. 104/2016 धारा 19/54 आरई एक्ट की पर्चा कायमी मय जप्ती अवैध शराब, वाहन कार आई 10 मय फर्द गिरफतारी आरोपी चांदमल उर्फ चान्दु के उक्त प्रकरण उसके जिम्मे होने से फर्दात पर लाल स्याही से प्रकरण सं. अंकित कर शामिल अनुसंधान किया। घटना स्थल का नक्शा मौका जो कि प्रदर्श पी 2 है, परिवादी की निशादेही से मुरतिब किया गया। गवाहान सहदेव सिंह, महेंद्र कुमार, भोपाल सिंह, सोहनलाल व रतनसिह के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये गए। संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम चांदमल उर्फ चान्दू पिता नंदलाल सुवालका निवासी आसपुर थाना रायपुर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 बखूबी प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली बाद अनुसंधान एसएचओ श्री सहदेव को सुपुर्द की, जिन्होंने आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रदर्श पी 6 फर्द पर्चा कायमी है व प्रदर्श पी 7 चाक एफआईआर है। प्रदर्श पी 8 अग्रेषण पत्र है। प्रदर्श पी 9 एफएसएल रिपोर्ट है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि आरोपी चांदमल को उसने गिरफतार नहीं किया। यह कहना सही है कि एफआइआर कर्ता सहदेव सिंह थानाधिकारी थे, जिनके अधीनस्थ वह काम करता था। यह कहना गलत है कि वे उच्चाधिकारी के कहने से कार्रवाई करते हों, बल्कि विधिसम्मत कार्रवाई करते हैं। यह कहना सही है कि गाड़ी रूकाना, मुल्जिम को गिरफतार करना व शराब जप्त करना सहदेव सिंह द्वारा की गई कार्रवाई थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 3 उसने तैयार नहीं किया। प्रदर्श पी 3 भी थानाधिकारी सहदेव सिंह ने ही तैयार किया था। प्रदर्श पी 1 गिरफतारी भी थानाधिकारी सहदेव सिंह ने ही तैयार की थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 2 उसने थाने पर बैठकर तैयार किया हो, बल्कि घटना स्थल पर तैयार किया था। जो घटना स्थल है वह सार्वजनिक रोड है, जहां व्यक्तियों का आवागमन होता है। यह कहना सही है कि निरीक्षण घटना स्थल पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवाए। यह कहना सही है कि शराब कहां से आई, इस संबंध में उसे जानकारी नहीं है। जप्तशुदा शराब पव्वे बाजार में ठेके पर मिल जाते हैं। यह कहना सही है कि पव्वों में शराब थी या नहीं उसने चखकर नहीं देखी , जप्ती अधिकारी सहदेव सिंह बता सकते हैं।

12– गवाह पी.डब्ल्यू. 05 रतन सिंह ने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 10.10.2016 को थाना बागोर कानि के पद पर कार्यरत थे। उस दिन सहदेव कानि ने प्रकरण संख्या 104/2016 धारा 19/54 राज. आब. अधि. सीलचिट नमूना सैपल मार्क ए, मार्क ए 1, मार्क बी, मार्क बी1, मार्क सी व मार्क सी1 उसे मालखाने मे जमा कराने हेतु दिये। जिसे उसके द्वारा दिनांक 10.10.2016 को मालखाने में जमा किया गया। मालखाना रजि से क्रमांक 89 पर दर्ज किया गया। उसके द्वारा एफएसएल ले जाने हेतु सीलचिट नमूना

सैपल भोपाल सिंह को विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने हेतु दिया। मालखाना रजि की प्रति प्रदर्श पी 10 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मालखाना रजि. क्रमांक में कोई काट छाट कर रखी हो। मालखाने में मार्का ए, बी, सी व नमूना सैंपल को जमा किया गया। यह बात सही है कि उसके द्वारा भोपाल को प्रयोगशाला मे ले जाने हेतु दिये उसके हस्ताक्षर नही। है। भोपाल सिंह को मालखाने में ले जाने हेतु दिनांक 17.10.2016 को दिया।

13– गवाह पी.डब्ल्यू. 06 महेंद्र ने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 10.10.2016 को थाना बागोर पर कॉनि के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब सहदेव सिंह के साथ व कानि भोपाल सिंह के साथ हल्का गश्त हेतु थाने से 10 एएम से रवाना हो थाने के सामने वाहन चैकिंग कर रहे थे। समय करीब 10.30 एएम पर कस्बा बागोर की तरफ से एक लाल रंग की कार जिसके शीशे काले होने पर रोकने का ईशारा किया तो कार चालक घुमाकर वापस ले जाने लगा। जिस पर एसएचओ साहब सहदेव सिंह व हमराही जाप्ता ने रोका व चालक का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम चांदमल उर्फ चांदु पिता नंदलाल सुवालका उम्र 35 साल निवासी आसपुर थाना रायपुर का होना बताया। कार में रखे कार्टून के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। चैकिंग हेतु आसपास में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से हमराही जाप्ते में से उसे व कानि भोपाल सिंह का स्वतंत्र गवाह मामूर कर गाडी में रखे 6 कार्टून पडे मिले। जिसे खोलकर देखा तो 4 कार्टून में सादा मदिरा के कुल 192 पव्वे देशी मदिरा सादा स्ट्रॉग 40 यूपी 180 एमएल के मिले। एक कार्टून में 48 पव्वे देशी मदिरा शाही स्ट्रॉग 40 युपी 180 एमएल के मिले। एक कार्टून में 12 बीयर बुलट स्ट्रॉग 650 एम एल के मिले। उक्त शराब का परिवहन बाबत लाइसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। शादा देशी मदिरा 192 पव्वो में से एक पव्वा वास्ते नमूना सैपल निकालकर मौके पर सिलचिट किया एवं मार्क ए अंकित किया तथा शेष शराब 191 पव्वों देशी शराब को कॉटून में रख चिट चस्पा कर मार्क ए 1 अंकित किया। देशी मदिरा सादा स्ट्रांग के 48 पव्वों में से 1 पव्वा वास्ते नमूना सैपल निकालकर मौके पर सिलचिट कर मार्का बी तथा शेष शराब 47 पव्वे देसी शराब को कॉटून में रखकर मौके पर चिटचस्पा कर मार्का बी 1 अंकित किया। बुलेट सुपर स्ट्रांग बीयर 650 एमएल 12 नग में से 1 बीयर वास्ते नमूना सैंपल निकाला जाकर मौके पर ही सीलचिट कर मार्का सी तथा शेष 11 बीयर को कॉटून में रखकर मौके पर चिट चस्पा कर मार्का सी 1 अंकित किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 06 है। अभियुक्त को जरिये फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी 01 गिरफतार किया। घटना स्थल का नक्शा मौका मो. जाबिर ने बनाया जो प्रदर्श पी 02 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वे गश्त करने बाहर निकले थे, लेकिन थाने के सामने वाहन चेकिंग करने लग गए। यह कहना सही है कि सभी कार्रवाई सहदेव सिंह जी ने उसके सामने मौके पर की थी। यह कहना सही है कि सभी कार्रवाई करते वक्त वे पुलिस वाले ही थे और कोई स्वतंत्र व्यक्ति मौजूद नहीं था। यह कहना सही है कि वक्त कार्रवाई मौके पर कैलाश पिता बिहारी दास मौके पर नहीं था। उनके द्वारा जो गाड़ी पकड़ी गई थी, वह लाल रंग की थी, उसके नं. आज उसे याद नहीं हैं। यह कहना सही है कि उसके 161 के बयानों के वक्त उसने गाड़ी के नं. दर्ज करवाए थे, आज उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उक्त सभी प्रदर्श उन्होंने थाने पर तैयार किए थे, बल्कि मौके पर तैयार किए थे। सभी फर्दें तैयार करते वक्त केवल वे पुलिस वाले ही थे, इसके अलावा और कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं थे। यह कहना सही है कि जब फर्दे तैयार की तब मौके पर उनके स्टाफ में भोपाल सिंह मौके पर मौजूद था। ये सभी फर्दें एक ही दिन में तैयार की थी। फर्द जप्ती का समय आज उसे याद नहीं थी। यह कहना गलत है कि नक्शा मौका थाने पर बैठकर तैयार किया हो। यह कहना सही है कि जप्तशुदा शराब को उसने चखकर नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि वे अपने उच्चाधिकारी सहदेव सिंह जी के कहने से गवाह बने हों। यह कहना सही

है कि उक्त जप्तशुदा शराब बाजार में भी मिलती है। यह कहना गलत है कि सीलचिट उनके सामने ना किया हो।

14– गवाह पी.डब्ल्यू. 07 सहदेव सिंह ने सशपथ बयानों में कथन किया कि वह दिनांक 10.10.2016 को थाना बागोर में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह मय जाप्ता कॉनि महेंद्र कुमार, भोपाल सिंह मय सरकारी जीप के थाने से रवाना हो थाने के सामने ही नाकाबंदी कर रहा था। 10.30 एएम पर बागोर की तरफ से एक लाल रंग की कार काले शीशे की हुई आई, उसने मय जाप्ता रूकवाने का प्रयास किया तो घूमकर वापस जाने लगा, तो घेरा देकर रोका। वाहन चालक से अपना नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम चांदमल उर्फ चांदू पिता नंदलाल सुवालका उम्र 35 साल निवासी आसपुर थाना रायपुर होना बताया। कार में रखे कॉटूनों के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया व साबुन होना बताया। शंका होने पर आसपास कोई गवाह नहीं होने से जाप्ता हमराही में से कॉनि महेंद्र कुमार व भोपाल सिंह को गवाह मामूर कर चेकिंग की गई तो कार में कुल में 6 कॉटून मिले। कार्टूनों को खोलकर देखा तो 4 कार्टूनों में सादा देशी मदिरा कुल 192 पव्वे देशी मदिरा सादा स्ट्रॉग 40 यूपी 180 एमएल राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का लाल ढक्कन लगा हुआ कुल 192 पव्वे। एक कार्टून देशी शराब 48 पव्वे जिस पर शाही स्ट्राग देशी मदिरा 40 यूपी 180 एमएल श्यामपुर, बहरोड जिला अलवर का लेबल लगा हुआ है। एक कार्टून में बुलेट बीयर 12 नग जिस पर बुलेट सुपर स्ट्राग बीयर 650 एमएल फॉर सेल ओनली राजस्थान बीवी का लेबल लगा हुआ है। उक्त व्यक्ति से शराब अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत लाइसेंस व परमिट मांगा तो उक्त चांदमल ने अपने पास कोई परमिट लाइसेंस नहीं होना बताया। जो जुर्म धारा 19/54 एक्साइज एक्ट का अपराध होने से मौके पर ही सादा देशी मदिरा 192 में से एक पव्वा नमूना सैंपल निकाला जाकर मार्क ए अंकित किया, तथा शेष 191 पव्वों को कॉटून में रखकर चिट चस्पा कर मार्क ए 1 अंकित किया। देशी मदिरा सादा स्ट्रांग के 48 पव्वों में से पव्वा वास्ते नमूना सैंपल निकालकर मौके पर ही सिलचिट कर मार्क बी1 अंकित किया। तथा शेष 47 पव्यों को कॉटूनों में चिटचस्पा कर मार्क बी1 अंकित किया। बुलेट सुपर स्ट्रांग बीयर 650 एमएल 12 नग में से 1 बीयर बोतल नमूना सैंपल निकाला जाकर सीलचिट कर मार्क सी अंकित किया तथा शेष 11 बीयर को कार्टून में रखकर चिटचस्पा कर मार्क सी 1 अंकित किया। मुल्जिम चांदमल को धारा 41 (1) बी का नोटिस पृथक से दिया जाकर जरिये फर्द मुल्जिम को गिरफतार किया गया। वाहन कार आई 10 आर जे 06 सीए 9113 को जरिये फर्द जप्त किया गया। वापसी थाना पर प्रकरण स. 104/2016 धारा 19/54 आबकारी अधि में दर्ज कर अनुसंधान मोहम्मद जाबीर एएसआई के जिम्मे किया गया। माल को जमा मालखाना करवाया। एफआईआर प्रदर्श पी 7 है। फर्द जप्ती संपत्ति की तलाशी प्रदर्श पी 3 है। फर्द गिरफतारी मुल्जिम चांदमल प्रदर्श पी 1 है। प्रदर्श पी 2 नक्शा मौका घटना स्थल है। फर्द कायमी प्रदर्श पी 6 है। अग्रेषण पत्र माल जमा कराने हेतु भिजवाने बाबत क्रमांक 43623–24 दिनांक 17.10.2016 पुलिस अधीक्षक का पत्र है। माल जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 4 है जो शामिल पत्रावली की गई। फर्द सूरतेहाल सुपुर्दगी प्रदर्श पी 5 है। जाबीर मोहम्मद एएसआई द्वारा अनुसंधान किया जाकर मुल्जिम चांदमल के विरूद्ध 19/54 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया। अधिवक्ता अभियुक्त ने माल को पहचान बाबत अनापत्ति जाहिर की। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रकरण में अनुसंधान से संबंधित जांच श्री जाबीर मोहम्मद द्वारा की गई है। यह बात सही है कि जप्तशुदा पव्वों को एक एक करके सूंघा नहीं था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01 व 03 में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और पुलिस वालें ही गवाह थे।

15– पत्रावली पर प्रदर्शित प्रदर्श पी 06 पर्चा कायमी सहदेव सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्ल्यू 07 सहदेव सिंह के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह

पीडब्ल्यू 07 सहदेव ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में दिनांक 10.10.2016 को उसका थाना बागोर में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत होने, उस दिन मय जाप्ता महेंद्र व भोपाल के साथ थाने के सामने नाकाबंदी करने, 10.30 ए.एम पर थाना बागोर की तरफ से एक लाल रंग की कार काले शीशे लगे हुए होने की आने, कार को रूकवाने, वाहन चालक से नाम पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम चांदमल उर्फ चांदू पिता नंदलाल निवासी आसपुर थाना रायपुर होना बताने, कार में रखे कार्टूनों के बारे में पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने, आस–पास कोई गवाह नहीं होने से महेंद्र व भोपाल सिंह को गवाह मामूर कर चैकिंग करने पर कार में 6 कार्टून मिलने, जिनमें से 04 कार्टूनों में 190 पव्वे देसी मदिरा स्ट्रॉग 40 यूपी 180 एमएल राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स शुगर लिमिटेड का लाल ढक्कन लगा होने, एक कार्टून देसी शराब में 48 पव्वे शाही स्ट्रॉग देसी मदिरा 40 यूपी 180 एमएल, एक कार्टून में 12 बीयर नग 650 एमएल के बरामद होने, चालक के पास शराब को कब्जे में रखने व परिवहन करने का लाईसेंस व परमिट नहीं होने, 192 पव्वों में से एक पव्वा नमूना सैंपल मार्क ए अंकित कर सीलचिट करने, शेष बचे 191 पव्वों को कार्टून में रखकर सीलचिट कर मार्क ए 1 अंकित करने, 48 पव्वों में से एक पव्वा नमूना सैंपल निकालकर सीलचिट कर मार्क बी अंकित करने, शेष बच्चे 47 पव्वों को कार्टून में सीलचिट कर मार्क बी1 अंकित करने, 12 नग बीयर में से एक बोतल नमूना सैंपल लिया जाकर सीलचिट कर मार्क सी अंकित करने, शेष 11 बीयर को कार्टून में रखकर सीलचिट कर मार्क सी1 अंकित करने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01 व पी 03 में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, केवल पुलिस वाले ही थे। अभियोजन पक्ष के गवाहान पीडब्ल्यू 01 भोपाल सिंह व पीडब्लयू 06 महेंद्र सिंह ने भी घटना के समय उनका सहदेव सिंह के साथ नाकाबंदी करने, लाल रंग की गाड़ी आने, चालक का नाम पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम चांदमल उर्फ चांद निवासी आसपुर होना बताने, कार में से 06 कार्टून मिलने, 04 कार्टूनों में 192 पव्वे मिलने, 1 कार्टून में 48 पव्वे मिलने व एक अन्य कार्टून में 12 बोतल बीयर मिलने, जिनमें से सैंपल मार्क ए, बी, सी लेने, सीलचिट करने का कथन किया है। उक्त गवाहों से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत जिरह की गई, परंतु दौराने जिरह गवाहों की साक्ष्य अभियुक्त चांदमल उर्फ चांद से शराब के 06 कार्टून मिलने बाबत अखंडनीय रही है।

16– प्रकरण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 में अभियुक्त के कब्जे से 4 पेटी सादा देसी कुल 192 पव्वे, 1 पेटी देसी शराब 48 पव्वे, 1 पेटी बीयर बुलर 12 नग बरामद होने जिनमें से सैंपल मार्क ए, बी व सी निकाले जाने का अंकन है। गवाह पीडब्ल्यू 05 रतन सिंह ने जब्तशुदा शराब को जमा मालखाना करने एवं एफएसएल हेतु सीलचिट नमूना सैंपलों को भोपाल सिंह को दिए जाने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 01 भोपालसिंह ने नमूना सैंपलों को सीलचिट अवस्था में एफएसएल अजमेर ले जाने का कथन किया है। प्रदर्श पी 04 प्राप्ति रसीद में भी नमूने रासायनिक जांच हेतु सीलचिट अवस्था में प्राप्त होने का अंकन है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 में भी यह तथ्य स्पष्ट आया है कि भोपालसिंह द्वारा मार्क ए, बी, सी नमूना सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में शील्ड हालत में जमा कराया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त से शराब बरामद होने से लेकर एफ.एस.एल. में जमा कराये जाने तक सैम्पल मार्क ए, बी, सी शील्ड सुरक्षित हालत में था।
17– विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त रिर्पोट धारा 293 (4) (ई) दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानानुसार सहायक निर्देशक (रसायन) द्वारा किये जाने से बिना औपचारिक साक्ष्य के ग्राहय योग्य है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक नमूना सैम्पल मार्क ए का परीक्षण करने पर उसमें 41.04, मार्क बी में 41.04 एवं मार्क सी में 85.83 under proof ethyl alcohol पाया गया।

18– अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण के सभी गवाहान पुलिसकर्मी है। प्रकरण में सभी गवाहान पुलिसकर्मी है, कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं हुआ है, परन्तु मात्र

इस तथ्य को आधार मानकर इन सभी पुलिसकर्मी गवाहान के कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह करना किसी भी रुप में न्यायसंगत, न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। यह तथ्य विधिक रुप से स्थापित है कि किसी भी गवाह की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अविश्वसनीय, असत्य नहीं माना जा सकता कि वे सभी गवाहान पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, जब तक कि गवाहान के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास व असंगति जिरह में स्पष्ट नहीं हो। इस प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाहान पी .डब्ल्यू 01 भोपालसिंह, पीडब्ल्यू 06 महेंद्र व पीडब्ल्यू 07 सहदेव से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत जिरह की गयी, परन्तु जिरह में गवाहान के कथनों में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं आया, जिससे कि गवाहान के कथनों की विश्वसनीयता संदेहास्पद प्रतीत हो, इसलिए अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क पोषणीय प्रतीत नहीं होता तथा पत्रावली व बहस के तर्कों से यह कहीं भी प्रकट नहीं है कि अभियुक्त की पुलिसकर्मियों से कोई व्यक्तिगत रंजिश रही हो तथा वे उसे आरोपित अपराध में झुठा संलिप्त कर रहे हो। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क अभियुक्त की कोई सहायता नहीं करता है।

19– अतः उपरोस्त समस्त विवेचन व निष्कर्ष के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि दिनांक 10.10.2026 को समय 12.10 ए.एम. पर अभियुक्त चांदमल उर्फ चांद के सचेत व संज्ञान कब्जे से लाल रंग की कार में रखे 06 कार्टून मिले, जिनमें 04 कार्टून सादा देसी मदिरा कुल 192 पव्वों पर देसी मदिरा स्ट्रांग 40 यूपी 180 एम एल राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का लाल ढक्कन लगा हुआ तथा एक कार्टून देसी शराब 48 पव्वे जिस पर शाही स्ट्रांग देसी मदिरा 40 यूपी एमएल श्यामपुर बहरोड जिला अलवकर का लेबल लगा एवं एक कार्टून बीयर बुलट 12 नग जिस पर बुलेट सुपर स्ट्रांग बीयर 650 एमएल फोर सेल ऑनली राज. 8 प्रति वीवी लबल लगा हुआ बरामद हुए, जिनको अभियुक्त चांदमल उर्फ चांद के पास रखने का कोई वैद्य लाईसेंस नहीं था। अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्त ओमसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध पाया जाता है।

:: <u>आदेश</u> ::

20– परिणामतः अभियुक्त चांदमल उर्फ चांदु पिता नंदलाल सुवालका, उम्र 35 वर्ष निवासी आसपुर थाना रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा

:: <u>सजा के प्रश्न पर</u> ::

21– सजा के बिन्दु पर उभय पक्षकारान को सुना गया।

22– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। काफी लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है, नरमी का रूख अपनाते हुए उसे परीवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावे।

23– पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने से उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा उसे निम्नानुसार दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: <u>दण्डादेश</u> ::

24– अतः अभियुक्त चांदमल उर्फ चांदु पिता नंदलाल सुवालका, उम्र 35 वर्ष निवासी आसपुर थाना रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में 1 वर्ष (अक्षरे एक वर्ष) के साधारण कारावास और 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपए) रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 20 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

25– अभियुक्त के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान/अन्वीक्षा के दौरान पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि धारा 428 द०प्र०सं० के तहत नियमानुसार समायोजित की जावे। अभियुक्त का नियमानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे। अधिवक्ता अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा

26– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना अग्रवाल)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, भीलवाड़ा